परिपत्र - संख्या: 6/2018

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/2017–18/7829 दिनांक : 01/06/18.

–:परिपत्र:–

विषय :– 1000 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि का मूल्यांकन आवासीय दर से करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना प4(3)वित्त/कर/ 2018–190 दिनांक 12.02.2018 के द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना कमांक प4(4) वित्त /कर /2015–226 दिनांक 09.03.2015 के खण्ड संख्या–13 के स्थान पर नया खण्ड सख्या–13 प्रतिस्थापित कर 1000 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है:–

"13. 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें :

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90–क में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्रों या नगरयोग्य सीमाओं या नगरीय क्षेत्रों की उपान्त पट्टी में अवस्थित 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी ।

स्पष्टीकरण : (i) उपर्युक्त दरें विकय की लिखत पर लागू होंगी।

(ii) जहां कृषि भूमि के विकय की लिखत में केताओं की संख्या एक से अधिक है, और किसी केता का हिस्सा 1000 वर्गमीटर या उससे कम है, वहां भूमि के ऐसे हिस्से का मूल्य उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर पर संगणित किया जायेगा। "

उप पंजीयक कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90–क में परिभाषित नगरीय क्षेत्रों या नगरयोग्य सीमाओं या नगरीय क्षेत्रों की उपान्त पट्टी में अवस्थित 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि के विकय दस्तावेजों में केताओं की संख्या एक से अधिक होने और किसी किसी केता का हिस्सा 1000 वर्ग मीटर या उससे कम होने पर भी ऐसी कृषि भूमि का मूल्यांकन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.2018 के अनुसार आवासीय दर से नहीं किया जाकर कृषि दर से किया जा रहा है, जबकि अधिसूचना अनुसार भूमि का मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना अपेक्षित है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.2018 के पश्चात इस अधिसूचना के अनुसार आवासीय दर से मालियत की गणना कर मुद्रांक शुल्क लिया जावें। अधिसूचना की प्रति सलंग्न है।

(श्याम लाल गुर्जर) 1-6-18
महानिरीक्षक

क्रमांकः एफ–7(39)जन/2017–18/7830-8434 दिनांक : 01/06/18

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक, वित भवन, जनपथ, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को, कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
7. महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक जयपुर।
9. उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) मुख्यालय, अजमेर।
10. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त परिपत्र विभाग के सॉफ्टवेयर "ई–पंजीयन" व विभाग की वेबसाईट http://www.igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. निजी सचिव, महानिरीक्षक/निजी सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) एवं (प्रवर्तन), मुख्यालय, अजमेर।
13. समस्त उपपंजीयक (पदेन एवं पूर्णकालीन) राजस्थान।
14. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. समस्त शाखा, मुख्यालय, अजमेर।
16. समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक (राजस्थान)

(रेणू जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर